

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. B/4744

Jabalpur, dated 06.10.2016.

Copy of the Notification of the Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs F.No.1-2-90-XXI-B(1)3076/2016, issued as per the provisions of Section 14(1) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Dindori, Indore, Raisen and Sehore for information and necessary action,
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action,
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

*Vivek Saxena*  
**(Vivek Saxena)**  
**O.S.D.(D.E.)**

*06.10.16.*

2162

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग

05 OCT 2016

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक.....अक्टूबर, 2016

फा.क्र.1-2-90/21-ब(एक)3076/2016— अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90/इक्फीस-ब(एक) दिनांक 30 जनवरी, 1990 को, जहां तक उसका संबंध नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, उक्त जिलों के उन्हीं सेशन्स न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)
1.	बड़वानी
2.	बालाघाट
3.	भिण्ड
4.	भोपाल
5.	छिंदवाड़ा
6.	दमोह
7.	दतिया
8.	देवास
9.	धार
10.	गुना
11.	ग्वालियर
12.	हरदा
13.	होशंगाबाद
14.	इंदौर
15.	जबलपुर
16.	झाबुआ
17.	कटनी
18.	खंडवा
19.	मंडला
20.	मंदसौर
21.	नरसिंहपुर
22.	नीमच

05 OCT 2016

Notification Page 15 of 37

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

(OS.D.CDE)

23.	पन्ना
24.	रायसेन
25.	राजगढ़
26.	रतलाम
27.	रीवा
28.	सतना
29.	सीहोर
30.	सिवनी
31.	शहडोल
32.	शाजापुर
33.	श्योपुर
34.	शिवपुरी
35.	सीधी
36.	टीकमगढ़
37.	उज्जैन
38.	(पश्चिम निमाड़) मंडलेश्वर

### **NOTIFICATION**

F.No.1-2-90-XXI-B(1)3076/2016 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90/XXI-B(1), dated 30<sup>th</sup> January, 1990, so far as it relates to the establishment of the Special Court in the districts mentioned in column (2) of the table below, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specifies the said courts of sessions as special courts to try the offences under the said Act, namely:-

//3//

**TABLE**

S. No.	District
(1)	(2)
1.	Badwani
2.	Balaghat
3.	Bhind
4.	Bhopal
5.	Chhindwara
6.	Damoh
7.	Datia
8.	Dewas
9.	Dhar
10.	Guna
11.	Gwalior
12.	Harda
13.	Hoshangabad
14.	Indore
15.	Jabalpur
16.	Jhabua
17.	Katni
18.	Khandwa
19.	Mandla
20.	Mandsaur
21.	Narsinghpur
22.	Neemuch
23.	Panna
24.	Raisen
25.	Rajgarh
26.	Ratlam
27.	Rewa
28.	Satna
29.	Sehore
30.	Seoni
31.	Shahdol
32.	Shajapur
33.	Sheopur

34.	Shivpuri
35.	Sidhi
36.	Tikamgarh
37.	Ujjain
38.	(WestNimar) Mandleshwar

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



के. वाणी  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग  
पृ.क्र. 1-2-90 / 21-ब(एक)3076 / 2016, भोपाल, दिनांक..... अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि:-

- रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्र. B/3332/III-6-3/90, दिनांक 23.08.2016 के संदर्भ में,
- प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, थी श्रिंग, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा एवं (पश्चिम निमाड़) मंडलेश्वर (म.प्र.),
- उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।  
( ) केवल मुद्रणालय के लिये।
- शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।



के. वाणी  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग